भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2210
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

गंगा जल संधि का नवीनीकरण

2210. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और बांग्लादेश सरकारों ने वर्ष 2026 में समाप्त होने वाली वर्ष 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण के लिए उच्च-स्तरीय तकनीकी चर्चाएँ शुरू की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मार्च 2025 में 11 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा सहित हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) फरक्का बैराज में और बाद में कोलकाता में आयोजित बैठकों के सत्रों के क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या इन चर्चाओं के दौरान पड़ोसी राज्य और प्रमुख हितधारक के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया किया गया है और यदि हाँ, तो उसकी भागीदारी की प्रकृति क्या है और क्या जानकारी प्रदान की गई है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ) जहाँ तक भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि का संबंध है। दोनों देशों के बीच इसके नवीनीकरण के लिए द्विपक्षीय चर्चा अभी शुरू होनी है।

संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, बांग्लादेश के साथ पारस्परिक हित के सभी जल-संबंधी मुद्दों पर तकनीकी-स्तर की बैठकें आयोजित की जाती रही हैं। ऐसी पिछली बैठक मार्च 2025 में हुई थी, जिसमें डाटा साझाकरण और संयुक्त निगरानी के लिए एक संरचित प्लैटफ़ार्म प्रदान किया गया।

उपर्युक्त चर्चाओं की तैयारी हेतु संघ सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से नियमित रूप से परामर्श किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि ने 30 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024, 31 मई 2024 और 26 मार्च 2025 को इस मामले पर आयोजित अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं में भाग लिया, जिनमें एक सामूहिक दृष्टिकोण तैयार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी हितधारकों से पेयजल और औद्योगिक जल आवश्यकताओं पर भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे सरकार के विचार तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

*****